

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 339/2024

दायर दिनांक 30.09.2024

वादीगण

प्रतिवादी

1. रामनिवास पुत्र खींवारा

1. तहसीलदार छोटी खाटू

2. पूर्णाराम पुत्र खींवारा

3. कालूराम पुत्र खींवारा

बनाम्

4. इन्द्राराम पुत्र खींवारा जाति

बावरी निवासीगण रणसीसर

तहसील छोटी खाटू जिला

डीडवाना-कुचामन राज0।

राजस्व-वाद बाबत्

रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थित:-

1. श्री पूर्णसिंह बोहरा एडवोकेट वादी।

-:: निर्णय ::-

दिनांक 31.12.2024

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा सं0 290 रकबा 0.5100 हैक्टे0 बारानी-1, खसरा सं0 332 रकबा 0.0300 हैक्टे0, खसरा सं0 333 रकबा 1.4400 हैक्टे0 बारानी-1, खसरा सं0 358 रकबा 3.0000 हैक्टे0 बारानी-1, खसरा सं0 416 रकबा 2.7800 हैक्टे0 बारानी-2, खसरा सं0 429 रकबा 0.2000 हैक्टे0 बारानी-2, खसरा सं0 431 रकबा 2.3100 हैक्टे0 बारानी-2, खसरा सं0 432 रकबा 2.3100 हैक्टे0 बारानी-2 कुल खसरा सं0 8 कुल रकबा 11.4600 हैक्टे0 वाकै सरहद ग्राम रणसीसर, पटवार हल्का केराप, भू-अभिलेखसरा सं0 निरीक्षक केराप, तहसील छोटी खाटू में अवस्थित है। जिसमें में वादीगण के पिता का नाम गलती से खींवारा दर्ज हो गया जबकि वादीगण के पिता का सही नाम खींवारा है। जो हमारे सभी सरकारी दस्तावेजों में आधार कार्ड, पेन कार्ड इत्यादि में हमारे पिता का नाम खींवारा दर्ज है जो सही है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार है:-

अतः वाकै सरहद ग्राम रणसीसर के खेत खसरा सं0 290 रकबा 0.5100 हैक्टे0 बारानी-1, खसरा सं0 332 रकबा 0.0300 हैक्टे0, खसरा सं0 333 रकबा 1.4400 हैक्टे0 बारानी-1, खसरा सं0 358 रकबा 3.0000 हैक्टे0 बारानी-1, खसरा सं0 416 रकबा 2.7800 हैक्टे0 बारानी-2, खसरा सं0 429 रकबा 0.2000 हैक्टे0 बारानी-2, खसरा सं0 431 रकबा 2.3100 हैक्टे0 बारानी-2, खसरा सं0 432 रकबा 2.3100 हैक्टे0 बारानी-2 कुल खसरा सं0 8 कुल रकबा 11.4600 हैक्टे0 में वादीगण के पिता का नाम खींवारा के स्थान पर खींवारा राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्धि करवाने का आदेश प्रदान करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार छोटी खाटू के पत्र क्रमांक:भू0अ0/2024/1203 दिनांक 09.12.2024 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादीगण ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया। तहसीलदार खाटू खुर्द की रिपोर्ट व दस्तावेजों के अनुसार खसरा सं0 290, 332, 333, 358, 416, 429, 431, वाकै सरहद रणसीसर में खींवारा के स्थान पर खींवारा राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त किया जाना सही है। अतः वाद विवेचन, राजस्व वाद, वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है।

(Handwritten Signature)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना



—: आदेश ::—

दावा डिक्री सादिर कर वाकै सरहद रणसीसर के खेत खसरा सं० 290 रकबा 0.5100 हैक्टो, खसरा सं० 332 रकबा 0.0300 हैक्टो, खसरा सं० 333 रकबा 1.4400 हैक्टो, खसरा सं० 358 रकबा 3.0000 हैक्टो, खसरा सं० 416 रकबा 2.7800 हैक्टो, खसरा सं० 429 रकबा 0.2000 हैक्टो, खसरा सं० 431 रकबा 2.3100 हैक्टो, खसरा सं० 432 रकबा 2.3100 हैक्टो में वादीगण के पिता का नाम खीयाराम के स्थान पर खीवाराम दुरुस्त किया जाता है।

तहसीलदार छोटी खाटू की तथ्यात्मक रिपोर्ट जरिये पत्र क्रमांक:भू०अ०/2024/1203 दिनांक 09.12.2024 उक्त निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

vikas
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी

निर्णय आज दिनांक 31.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।
vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डी.ड.काना।

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत:- उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना
बइजलास : पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या: 339/2024 दायर दिनांक 30.09.2024
वादी प्रतिवादी

1. रामनिवास पुत्र खींवाराम
2. पूर्णाराम पुत्र खींवाराम
3. कालूराम पुत्र खींवाराम
4. इन्द्राराम पुत्र खींवाराम बनाम्
जाति बावरी निवासीगण
रणसीसर तहसील छोटी
खाटू जिला डीडवाना-
कुचामन राज0।

1. तहसीलदार छोटी खाटू

राजस्व-वाद बाबत
रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनांक 31.12.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिव मुददई श्री पूर्णसिंह बोहरा एडवोकेट वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि, दावा डिक्री सादिर कर दावा डिक्री सादिर कर वाकै सरहद रणसीसर के खेत खसरा सं0 290 रकबा 0.5100 हैक्टे0, खसरा सं0 332 रकबा 0.0300 हैक्टे0, खसरा सं0 333 रकबा 1.4400 हैक्टे0, खसरा सं0 358 रकबा 3.0000 हैक्टे0, खसरा सं0 416 रकबा 2.7800 हैक्टे0, खसरा सं0 429 रकबा 0.2000 हैक्टे0, खसरा सं0 431 रकबा 2.3100 हैक्टे0, खसरा सं0 432 रकबा 2.3100 हैक्टे0 में वादीगण के पिता का नाम खींवाराम के स्थान पर खींवाराम दुरुस्त किया जाता है।

तहसीलदार छोटी खाटू की तथ्यात्मक रिपोर्ट जरिये पत्र क्रमांक:भू0अ0/2024/1203 दिनांक 09.12.2024 उक्त निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 31.12.2024 को सरे इजलास में जारी की गयी।

उपखण्ड-अधिकारी
उपखण्ड-अधिकारी
डीडवाना

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिशनर वायत इजराय हुकमनामा मुतफरिक मिजान	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिशनर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड-अधिकारी
उपखण्ड-अधिकारी
डीडवाना